स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 90, दिनांक 21–03–2025

अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला अन्तर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, 280 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रूपये) बरामद।

दिनांक 21–03–2025 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय तस्कर को 280 कि0ग्रा0 गॉजा ट्रक सहित (अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रूपये) के साथ गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः–

भूपेन्द्र कुमार पुत्र शिव सिंह निवासी कांगडाघाट थाना कंडाघाट जनपद सोलन (हिमांचल प्रदेश)

<u>बरामदगी</u> ः–

1– 280 कि0ग्रा0 गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 70 लाख रूपये)।
2– 01 अदद ट्रक नं0ः एच0पी0–64बी–6043
3– 01 अदद मोबाइल फोन।
4– नकद 1450/–रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

पूरब का पुरा, कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़। दिनांक 21–03–2025

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले शातिर तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/ टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में निरीक्षक श्री पुनीत परिहार एसटीएफ फील्ड इकाई, वाराणसी के नेतृत्व में टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की गयी।

दिनांक 20/21 मार्च 2025 की रात्रि में एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, वाराणसी की टीम जनपद आजमगढ में आपराधिक अभिसूचना संकलन के उद्‌देश्य से भ्रमणशील थी। इसी दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि अवैध मादक पदार्थों की अन्तर्राज्यीय स्तर पर तस्करी करने वाला तस्कर आसाम से ट्रक नं0 एच0पी0 64बी–6043 में अवैध मादक पदार्थ (गॉजा) लोड करके मेहनाजपुर की तरफ आने वाला है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करके उनको साथ लेकर पूरब का पुरा, कस्बा मेहनाजपुर थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह ट्रक उसी का है। वह डिब्रूगढ (आसाम) से दिल्ली के लिए प्लास्टिक का दाना लोड किया था। जिसके उपरान्त गांजा लोड करने तेजपुर

(आसाम) गया था। वहॉ से उक्त ट्रक में प्लास्टिक के दानों के बीच में गांजा छिपा कर ला रहा था। वह जनपद आजमगढ के स्थानीय गांजा तस्करों एवं कथित प्रशान्त राय नाम के व्यक्ति से लगातार सम्पर्क में था। यह गांजा उसी प्रशान्त राय को देना था।

गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ में मु0अ0सं0 27/2025 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।